रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-07082024-256135
CG-HR-E-07082024-256135

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2024/श्रावण 14, 1946
No. 441] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2024/SHRAVANA 14, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 480(अ).—कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अंतर्गत फल एवं सब्जियाँ श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2004 में संशोधन करने के लिए भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 99(अ) दिनांक 5 फरवरी, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3 उप खंड (i) में प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध कराए जाने के पैंतालीस दिनों के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां 5 फरवरी 2024 को आम जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर आम जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्र सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फल एवं सब्जियाँ श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2004 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फल एवं सब्जियाँ श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2024 है ।

(2) ये भारत के राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. फल एवं सब्जियाँ श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2004 (जिन्हें इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित किया जाएगा) में, नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"8 (1) फल एवं सब्जियों के घरेलू व्यापार के मामले में यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) में विनिर्दिष्ट धातु संदूषक, कीटनाशक अवशेष, सूक्ष्मजीव अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर से संबंधित प्रतिबंधों तथा अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(2) फल एवं सब्जियों के निर्यात के मामले में यह कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा निर्धारित भारी धातुओं और कीटनाशकों की अवशिष्ट सीमाओं तथा अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों अथवा आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।"

3. उक्त नियमों में, अनुसूची II के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची –II

(मूल नियम का नियम 4 देखें)

टेबल अंगूर का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

1. टेबल अंगूर सीधे मानव उपभोग के प्रयोजनार्थ, *वाइटिस विनीफेरा एल.* की किस्म (किस्मों) से प्राप्त फल होंगे ।

2. **न्यूनतम अपेक्षाएं** :-

(i) टेबल अंगूर के गुच्छे एवं फल में निम्न अपेक्षाएं होंगी:

(क) साफ, ठोस, किसी भी दृश्यमान विजातीय पदार्थ से मुक्त होगा;

(ख) उपज के सामान्य स्वरूप को प्रभावित करने वाले कीटों से मुक्त होगा;

(ग) कीटों या बीमारियों से होने वाले नुकसान से मुक्त होगा;

(घ) असामान्य बाहरी नमी से मुक्त होगा;

(ङ) किसी भी विजातीय गंध या स्वाद से मुक्त होगा;

(च) दृश्यमान फफूंद से मुक्त होगा;

(छ) उच्च या निम्न तापमान से होने वाले नुकसान से मुक्त होगा।

(ii) फल साबुत, सुगठित और सामान्यत: परिपक्व होंगे।

(iii) टेबल अंगूर में न्यूनतम घुलनशील ठोस पदार्थ सोलह डिग्री ब्रिक्स होने चाहिए।

(iv) टेबल अंगूर में न्यूनतम शर्करा-अम्ल अनुपात 18:1 होना चाहिए।

3. टेबल अंगूर के श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड:

श्रेणी अभिधान के मापदंड नीचे तालिका ए में दिए गए हैं और आकार से संबंधित प्रावधान तालिका बी में दिए गए हैं:

तालिका ए

श्रेणी अभिधान	श्रेणी अपेक्षाएं	आकार संबंधी प्रावधान	श्रेणी सहनीयता
(1)	(2)	(3)	(4)
उत्कृष्ट श्रेणी	(i) अंगूर उत्तम गुणवत्ता के होने चाहिए। गुच्छों का आकार, विकास और रंग किस्म की विशेषता के अनुरूप होना चाहिए और उनमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। (ii) फल ठोस, डंठल से मजबूती से जुड़े हुए, डंठल पर समान दूरी पर और स्पष्टत: ताज़े होने चाहिए।	तालिका बी के अनुसार	गुच्छों के वजन के अनुसार 5% तक ग्रेड की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं, लेकिन श्रेणी-I ग्रेड की अपेक्षा को पूरा करता हो या असाधारण रूप से उस ग्रेड की सहनीयता के अंतर्गत हो।
श्रेणी-I	(i) अंगूर अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। गुच्छों का आकार, विकास और रंग किस्म की विशेषता के अनुरूप होना चाहिए। (ii) फल ठोस, डंठल से मजबूती से जुड़े हुए और जहां तक संभव हो ताज़े होने चाहिए। (iii) हालाँकि, वे उत्कृष्ट श्रेणी की तुलना में डंठल पर कम समान दूरी पर हो सकते हैं। (iv) निम्नलिखित मामूली खामियाँ हो सकती हैं, बशर्ते ये उत्पाद के सामान्य आकार और पैकेज की गुणवत्ता को प्रभावित न करें: (क) आकार में मामूली खराबी, (ख) रंग में मामूली खराबी	-वही-	गुच्छों के वजन के अनुसार 10% तक ग्रेड की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं,लेकिन श्रेणी II ग्रेड की अपेक्षा को पूरा करता हो या असाधारण रूप से उस ग्रेड की सहनीयता के अंतर्गत हो।
श्रेणी -II	(i) गुच्छों में आकार, विकास और रंग में दोष दिखाई दे सकते हैं, बशर्ते ये किस्म की अनिवार्य विशेषताओं को प्रभावित नहीं करें। (ii) फल पर्याप्त रूप से ठोस और डंठल से जुड़े होने चाहिए।	-वही-	गुच्छों के वजन के हिसाब से 10% और ग्रेड की अपेक्षाओं के अनुरूप हो तथा न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करता हो ।

	(iii) वे श्रेणी-I ग्रेड की तुलना में डंठल पर कम समान दूरी पर हो सकते हैं। (iv) निम्नलिखित दोष हो सकते हैं, बशर्ते ये उत्पाद के सामान्य आकार और पैकेज की गुणवत्ता को प्रभावित न करें: (क) आकार में दोष, (ख) रंग में दोष (ग) सूरज की गर्मी से हल्की झुलसन जिससे केवल छिलका प्रभावित हो, (घ) हल्की चोट, (ङ) छिलके में मामूली दोष		

तालिका बी

आकार से संबंधित प्रावधान

आकार का निर्धारण गुच्छों के वजन (ग्राम में) से होता है और प्रति गुच्छा निम्नलिखित न्यूनतम (ग्राम में) अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं:-

श्रेणी	बड़े फल	छोटे फल
उत्कृष्ट श्रेणी	200	150
श्रेणी -I	150	100
श्रेणी –II	100	75

आकार सहनीयता: (i) उत्कृष्ट श्रेणी, श्रेणी I,श्रेणी II: गुच्छों के वजन के हिसाब से 10% तक ग्रेड की आकार अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं, लेकिन तत्काल नीचे वाले ग्रेड के लिए आकार की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

(ii) एक किलोग्राम से अनधिक शुद्ध वजन वाले पैकेजों के लिए, 150 ग्राम से कम वजन वाले एक गुच्छे को वजन समायोजित करने की अनुमति है, बशर्ते कि गुच्छा निर्दिष्ट ग्रेड की अन्य सभी अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

दोनों तालिकाओं के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण: धूप के कारण हुए पिगमेंटेशन को दोष नहीं माना जाएगा।

4.अन्य अपेक्षाएं:-

(i) अंगूरों को सावधानी से चुना जाना चाहिए और वे किस्म या वाणिज्यिक प्रकार और जिस क्षेत्र में वे उगाए गए हैं, उसके मानदंडों के अनुसार विकास और परिपक्वता की उचित स्थिति प्राप्त कर चुके हों। अंगूरों का विकास और स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह :

(क) यातायात और हैंडलिंग का सामना कर सके; और

(ख) जिसे अपने गंतव्य स्थान पर संतोषजनक ढंग से पहुंचाया जा सके।

(ii) एक किलोग्राम से अनधिक के शुद्ध वजन वाले उपभोक्ता पैकेज में विभिन्न किस्मों के टेबल अंगूरों का मिश्रण हो सकता है, बशर्ते वे निर्दिष्ट ग्रेड की अन्य सभी अपेक्षाओं को पूरा करें।"

[फा. सं. -क्यू-11047/05/एफ &वी/2023-मानक]

फ़ैज़ अहमद किदवई, अपर सचिव (विपणन)

नोट –मूल नियम भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 26 जून, 2004 को अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 220 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक 10 नवंबर, 2016 को अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 1059(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi the 5th August, 2024

G.S.R. 480(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Fruits and Vegetables Grading and Marking Rules, 2004, were published, as required under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare notification number G.S.R. 99(E), dated the 5th February, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date on which copies of the said notification published in the Gazette of India, were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 5th February, 2024;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Fruits and Vegetables Grading and Marking Rules, 2004, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Fruits and Vegetables Grading and Marking (Amendment) Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Gazette of India.

2. In the Fruits and Vegetables Grading and Marking Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said rules) for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-

"8 (1) The fruits and vegetables for domestic trade, shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, pesticide residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the regulations made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).

(2) The fruits and vegetables for export trade, shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission or importing countries requirement for export."

3. In the said rules, for Schedule-II, the following Schedule shall be substituted, namely:–

“SCHEDULE–II

(see rule 4 of principal rules)

Grade designation and quality of Table Grapes

1. Table grapes shall be fruits obtained from varieties (cultivars) of *Vitis vinifera L.* which are intended for direct human consumption.

2. Minimum requirements:-

   (i) Bunches and berries of Table grapes shall be:

   (a) clean, sound, free from any visible foreign matter;

   (b) free from pests, affecting the general appearance of the produce;

   (c) free from damage caused by pests or diseases;

   (d) free from abnormal external moisture;

   (e) free from any foreign smell or taste;

   (f) free from all visible traces of moulds;

   (g) free from damage caused by high or low temperature.

   (ii) Berries shall be intact, well formed and normally developed.

   (iii) Table grapes shall have minimum soluble solids of sixteen degrees brix.

   (iv) Table grapes shall have minimum sugar-acid ratio of 18:1.

3. Criteria for grade designation of Table grapes:

   The criteria for grade designation is given hereunder in Table A and the provision concerning size are given in Table B:

TABLE A

Grade designation	Grade requirements	Provision concerning sizing	Grade tolerances
(1)	(2)	(3)	(4)
Extra class	(i) Grapes must be of superior quality and the bunches must be typical of variety in shape, development and coloring and have no defects. (ii) Berries must be firm, firmly attached to the stalk, evenly spaced along the stalk and have their bloom virtually intact.	As per Table B	5% by weight of bunches not satisfying the requirements for the grade, but meeting those of Class I grade or exceptionally coming within the tolerances of that grade.
Class I	(i) Grapes must be of good quality and the bunches must be typical of variety in shape, development and coloring. (ii) Berries must be firm, firmly attached to the stalk and, as far as possible, have their bloom intact. (iii) They may, however, be less evenly spaced along the stalk than in the extra class.	- do -	10% by weight of bunches not satisfying the requirements for the grade, but meeting those of Class II grade or exceptionally coming within the tolerances of that grade.

	(iv) Following slight defects may be there, provided these do not affect the general appearance of the produce and keeping quality of the package: (a) a slight defect in shape, (b) a slight defect in coloring		
Class II	(i) The bunches may show defects in shape, development and coloring provided these do not impair the essential characteristics of the variety. (ii) The berries must be sufficiently firm and sufficiently attached to the stalk. (iii) They may be less evenly spaced along the stalk than Class I grade. (iv) Following defects may be there, provided these do not affect the general appearance of the produce and keeping quality of the package: (a) defects in shape, (b) defects in coloring, (c) slight sun scorch affecting the skin only, (d) slight bruising, (e) slight skin defects	- do -	10% by weight of bunches and satisfying the requirements of the grade, but meeting the minimum requirements.

TABLE B

PROVISIONS CONCERNING SIZING

Size is determined by the weight of bunches (in gram) and the following minimum (in gram) requirements as per bunch are laid down:-

Grade	Large berries	Small berries
Extra class	200	150
Class I	150	100
Class II	100	75

Size tolerance: (i) Extra class, Class I, Class II: 10 % by weight of bunches not satisfying the size requirements for the grade, but meeting the size requirements for the grade immediately below.

(ii) For packages not exceeding one kilogram net weight, one bunch weighing less than 150 gram is allowed to adjust the weight, provided, the bunch meets all other requirements of the specified grade.

Explanation for the purpose of both the tables: Pigmentation caused by the sun shall not be treated as a defect.

4. Other requirements:-

(i) The grapes must have been carefully picked and have reached an appropriate degree of development and ripeness in accordance with criteria proper to the variety or commercial type and to the area in which they are grown and the development and condition of the grapes must be such as to enable them;

(a) to withstand transport and handling; and

(b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

(ii) The consumer packages of net weight not exceeding one kilogram may contain mixture of table grapes of different varieties, provided they shall meet all other requirements of the specified grade."

[F. No. Q-11047/05/F&V/2023-Std)]

FAIZ AHMED KIDWAI, Addl. Secy. (Marketing)

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India Part-II, Section-3, Sub-section (i) *vide* notification GSR 220, dated 26th June, 2004 and were last amended *vide* notification G.S.R. 1059(E), dated 10th November, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA